XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28.11.2011		

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

बासगीत पर्चा वाद संख्या–96/2009

धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अन्तर्गत

मो0 सफीर अंसारी, पिता–स्व0 टुराई अंसारी, साकिन–कन्हरिया, थाना–डगरूआ, जिला–पूर्णियाँ.....

आवेदक

बनाम्

1. जमशेद अंसारी, पिता–स्व0 खलील अंसारी
2. खुर्शीद अंसारी, पिता–स्व0 खलील अंसारी

साकिन–कन्हरिया, थाना–डगरूआ, जिला– पूर्णियाँ..... विपक्षीगण

आदेश

अंचलाधिकारी, बायसी द्वारा बासगीत पर्चा वाद संख्या–5/1996–97 में दिनांक 25.06.1996 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक के पिता प्रश्नगत जमीन खाता संख्या–207, खेसरा संख्या–361, 364 के भूस्वामी थे। प्रश्नगत जमीन का ईंजार अंसारी शिकमी रैयत थे, जिसका शिकमी खाता संख्या–119 है। आवेदक के पिता टुराई अंसारी एवं ईंजार अंसारी दोनों प्रश्नगत जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे। उपरोक्त दोनों व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस उक्त जमीन पर रहने लगे। विपक्षी अपने को ईंजार अंसारी का दूर का संबंधी (Distant relation) बताकर अंचल कार्यालय से अपने नाम से पर्चा निर्गत करवा लिया। अंचलाधिकारी ने आवेदक को न तो सूचना दिया और न ही स्थल निरीक्षण किया। पर्चा निर्गत करने से पूर्व आवश्यक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए विपक्षी के नाम पर्चा निर्गत किया गया, जबकि विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत भी नहीं है।

अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर तथा अपने स्तर से वाद की सुनवाई कर उचित न्याय करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि उनके पूर्वज ही प्रश्नगत जमीन पर घर बना कर रहे थे और परम्परा अनुसार वर्तमान में विपक्षीगण का मकानमय सहन प्रश्नगत जमीन पर है। आवेदक द्वारा यह कहना है कि उसे पर्चा निर्गत करने से पूर्व कोई सूचना नहीं मिली, गलत है। हल्का कर्मचारी एवं अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण किया और सारी प्रकियाओं का पालन करते हुए पर्चा निर्गत किया गया है।

अतः विपक्षी निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये उक्त वाद को

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

खारिज करने की कृपा की जाय।

निर्धारित तिथि दिनांक 14.10.2011 को सुनवाई की गयी। पुनः दिनांक 25.11.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि उन्हें कोई नोटिश निर्गत नहीं किया गया है एवं वे खूद प्रश्रय प्राप्त रैयत है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा नोटिश निर्गत नहीं होने की बात कही गयी बात गलत हैं अभिलेख से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन पर उनका इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बनाया हुआ है। जमीन मालिक रैयत का रिस्ता इस मामले में है। आवेदक के द्वारा जान–बुझकर इस जमीन को बेचा गया है। उस आधार पर उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद को समाप्त किया जाता हैं

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ